

सम्पादकीय

हम क्या हो गए

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक व्यथित करने वाला वीडियो सामने आया। इसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश कुछ धर्माधि हिंदू कर रहे हैं। आस-पास की भीड़ जैसी श्रीराम के नारे लगा रही है। कुछ पुलिस वाले उन उत्तापी लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस हंगामे के बीच वो बुजुर्ग जमीन पर नमाज पढ़ने बैठ रहे हैं। यह वीडियो दिल्ली से सुन्नी गुरुग्राम का है, जहां पिछले कुछ वर्ष से खुले में नमाज का मूल जबरदस्ती विवाद का विषय बना दिया गया है। इसे लैंड जिहाद जैसा नाम देकर समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिशें की जा रही हैं। गौरतलब है कि 2018 से ही कुछ इलाकों को चिन्हित कर खुले में नमाज की अनुमति प्रशासन ने दी हुई है। पहले 37 जगह चिन्हित की गई थीं, फिर इनकी संख्या घटाकर 29 कर दी गई। हाँ जुमे को इन जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें अनावश्यक तरीके से बाधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उपरोक्त वीडियो ऐसी ही एक कोशिश का प्रमाण है। एक महीने पहले भी भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों के साथ गुडगांव वेसेक्टर 12 ए के उस स्थान पर गोवर्धन पूजा में शिरकत की थी जहां मुसलमान हर हफ्ते नमाज अदा करते हैं। इधर खुले में नमाज रोकने के लिए नियोजित तरीकों की श्रृंखला में ट्रक खड़ा करने प्रदर्शनकारियों का नवीनतम हथियार है। इससे पहले पिछले दिन कई गांवों के लोगों ने सेक्टर 37 थाने के पास दी गई जगह पर पहुंचकर हवन किया था और दावा किया था यह मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जा रहा है। एक नमाज स्थल पर कुछ लोगों को क्रिकेट खेलते देखा गया था और एक अन्य स्थान पर पूजा की गई और बाद में वहां गोबर फेंका दिया गया। ये सारे हथकंडे महज इसलिए कि मुस्लिमों को खुले में नमाज पढ़ने से रोका जाए, अल्पसंख्यकों को ये अहसास दिलाया जाए कि वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। हालांकि सर्वधान में इदेश के सभी नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार दिया गया है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हों और हर नागरिक को अपनी पूजा पद्धति के पालन की इजाजत है।

गुरुग्राम की घटना बताती है कि कैसे संविधान की मर्यादा का हनन सायास किया जा रहा है और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें खुद को जनप्रतिनिधि मानते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच इस तरह का सांप्रदायिकता के बीज बोने का सिलसिला केवल गुरुग्राम में ही नहीं है, देश के बाकी हिस्सों में यही कोशिश चल रही है। अभी कुछ समय पहले गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड में हाईकोर्ट पर नमाज का मुद्दा उठाया था। उपर में केशव प्रसाद मौर्य ने जालीदार टोपी और लुंगी वालों को हटाने वाला बयान दिया और भाजपा के लिए वाहवाह लूटना चाही। इससे पता चलता है कि सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने इनका प्रमुख राजनीतिक एजेंडा है और सबका साथ जैसी बांध खोखली है। अगर प्रधानमंत्री या उत्तरप्रदेश और हरियाणा में मुख्यमंत्री इन घटनाओं और बयानों पर कड़ी आपत्ति जतलाते और ये कहते कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तब तो ये माना जा सकता था कि प्रधानमंत्री वाकई सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। लेकिन उनका मौन इन घटनाओं का समर्थन करते ही दिखता है। देश की सरकार को और जनता को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था, जबकि हिंदुस्तान ने तो अपनी पुरानी तहजीब और संस्कार को ही अपनाने का फैसला किया था। इसलिए यहां हरेक धर्मावलंबन के लिए बाराबरी का स्थान सुनिश्चित किया गया। अगर हम भी धर्माधारित देश बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी खास पहचान गुहों जाएगी। पाकिस्तान में धर्मिक कटूरता के कारण लोकतंत्र का कैसा नुकसान हुआ, किस तरह कटूरपर्यथों के आगे सरकारें समर्पण करने में जबूर हुईं, यह भी हमारे सामने ही है। हम बात-बात पर खुलौंगे को पाकिस्तान से बेहतर बताते भी हैं, लेकिन यह गर्व हम कब तब कर पाएंगे, इस बारे में भी सोचना होगा। वैसे पाकिस्तान में भी धर्माधारिक कटूरता के खिलाफ आवाज उठती रही है। हाल ही में एक श्रीलंका के नागरिक की ईशनिंदा पर भीड़ ने हत्या कर दी। इस दुखद घटना पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चुनाव नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए 'बेहद शर्मनाक दिन' बताया, और श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे संघ बात कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति मानवाधिकार मंत्री, कुछेक कलाकारों ने भी इस घटना का निंदा की। वहीं पाकिस्तान की पत्रकार यूसुरा असकरी ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए टवीट में सवाल पूछा है, 'हम क्या हो गए हैं?' इस वक्त भारत में भी नागरिक समाज को यह सवाल खुद से करने की जरूरत है कि हम क्या हो गए हैं।

चिकित्सा उपयोग में बाधक न हो नारकोटिक्स कानून

एम.आर.राजगोपाल

पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम नाम से एक कठोर कानून बनाया जिसका दर्द से राहत के लिए मॉर्फिन की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से पंगु बढ़िया, लेकिन इस कानून का अनुचित और गैर-चिकित्सा उपयोग पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। इस कानून में एक छोटी सी लिपिकार्य ट्रुट के लिए भी अनिवार्य और कठोर दंड की व्यवस्था थी। यदि किसी फार्मासिस्ट डॉक्टर के पास 25 ग्राम से अधिक बेहिसाब मॉर्फिन पाया गया तो न्यायाधीश के पास उसके लिए न्यूनतम दस वर्षों के कठोर कारावास देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। व्यक्ति को तब तक निर्दोष न होने के समझा जाएगा जब तक वह दोषी साबित नहीं होता। इसके साथ ही खुल्ले को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी भी आरोपी पर थोपी गई। इस कठोर कानून के कारण अस्पतालों और फार्मासिस्टों ने दवा का स्टॉर्करना बंद कर दिया। राज्य औषधि नियंत्रकों ने आवश्यक लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया। मेडिकल मॉर्फिन की राष्ट्रीय खपत 1985 में 60 किलोग्राम से अधिक थी जो 1998 में घटकर सिर्फ 17 किलोग्राम हो गया। यहां परे लिए इसमें सबक होना चाहिए था। केरल ने 1998 में तर्कसंग्रन्थ नियम लाए जो मुख्यतः सरकार द्वारा समर्थित गैर-सरकारी कार्रवाई प्रेरित थे। इसकी वजह से केरल में मॉर्फिन और अन्य ओपिओइड देश वाली हिस्सों की तुलना में 15 गुना अधिक सुलभ हो गए। राज्य में 17 से अधिक संस्थान सुरक्षित रूप से दवाओं का संग्रहण और दर्द से राहत के लिए इन्हें वितरित करते हैं। तथ्य यह है कि केरल में यह सफलतापूर्वक किया गया। एक और कम आय वाले देश युगांडा में दशकों से यह किया जा रहा है लेकिन इसने विश्व का थोड़ा ध्यान आकर्षित किया है। इसकी विपरीत विश्व स्तर पर तथा अब भारत के कुछ हिस्सों में भी दवाओं वाले दुरुपयोग और दवा महामारी की बात सुनने में आ रही है।

नागरिक समाज व चिकित्सा समुदाय के समर्थकों के ठोस प्रयासों व अंततः सफलता मिली और 2014 में भारतीय संसद ने एक संशोधन अधिनियम पारित किया जिसमें पहली बार दर्द से राहत प्रदान करने वाली सरकार की जिम्मेदारी को स्वीकार किया गया। संशोधित कानून व कार्यान्वयन अभी अधूरा पड़ा है। फिर भी, यह सही दिशा में एक बड़ा कदम था। दुर्भाग्यवश, हाल के दिनों में गलत आधारों पर डॉक्टरों व जेल में बंद किया जा रहा है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस कारण वे सरकार द्वारा नियंत्रित दवाएं लिखने या अस्पतालों में उनका उपयोग करने से परहेज करते हैं। कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि वे वैध उपयोग और अवैध उपयोग के बीच अंतर करें। ओपिओइड के डायवर्जन और दुरुपयोग के मामलों में अभियोजन की आवश्यकता है लेकिन यदि गलत आधार पर गिरफतारियां होती हैं

अस्पताल और डॉक्टर स्वाभाविक रूप से दवाओं का उपयोग करना बंद कर देंगे। दवा उद्योग इन दवाओं के निर्माण व उन्हें वितरित करने के बारे में हतोत्साहित होगा। इसका नतीजा यह होगा कि हम अधिकाधिक लोगों की गर्दनों पर फांसी के फंदों के निशान देखेंगे। इनमें से कुछ लोग मौत को गले लगाने में सफल होंगे और कुछ के प्रयास विफल भी हो सकते हैं परन्तु इस घाव के निशान उनके और उनके बच्चों के मानस पर होंगे। ऐसे लोगों की संख्या हजारों में नहीं बिल्कुल लाखों में होगी। दर्द प्रबंधन और प्रशासक देखभाल में काम कर रहे डॉक्टरों एवं गैर सरकारी संगठनों ने सरकार को एक प्रतिवेदन देकर मांग की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि डॉक्टरों तथा दवा उद्योग के सदस्यों को केवल अवैध उपयोग या नियंत्रित दवाओं को गलत दिशा में उपयोग के लिए अभियोजन का सामना करना पड़ेगा न कि गलत आधार पर उन पर मामला चलाया जाएगा।

दर्द से राहत के लिए एक अधियान के साथ बड़ी परेशानी यह है कि भारत में कैंसर के दर्द से एक लाख से अधिक लोग पीड़ित हैं लेकिन जब तक यह किसी के अपने परिवार में नहीं होता तब तक कैंसर का दर्द और दुख दिखाई नहीं देता। और भी लाखों लोग अन्य बीमारियों का दर्द ज्ञेल रहे हैं। जिन लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियों के कष्टदायी दर्द को समझने या उसके गवाह बनने का अनुभव नहीं किया है वे इसके दुख की भयावहता को नहीं समझ सकते। यह कुछ ऐसा है मानों हर कुछ संकेंद्र में किसी के जबड़े की हड्डी पर गिरने वाली कुलहाड़ी के प्रहार की तरह दर्द या पैर में लगातार एक साथ सैकड़ों सुर्डियां चुभाई जा रहीं हों। ये ऐसे अनुभव हैं जो आमतौर पर साझा नहीं किए जाते हैं और जब साझा किए जाते हैं तो उन्हें जानबूझ कर अनुसुना कर दिया जाता है। जबड़े के कैंसर से पीड़ित एक आदमी ने एक बार लेखकों में से एक से पूछा, मुझे बताओ, मैं कैसे आराम से रह सकता हूं, खासतौर पर उन हालातों में, जब रात-दिन मेरे कान में कोई कील ठोकी जा रही हो? वेदना निवारक क्लीनिक में गर्दन पर रस्सी के घर्षण से पड़े निशान बाले लोगों को देखना बहुत सामान्य सी बात है। ये वे लोग होते हैं जो आत्महत्या के प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों के कारण हर साल 26 हजार से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। अपने आप को मारना अंतिम त्रासदी नहीं है। इससे बुरी बात यह है कि ऐसा करने की ताकत न रखने वालों की किस्मत उन्हें मौत से बदतर जिंदगी जीने के लिए छोड़ देती है। भारत को वर्षों के परिश्रम से मिले लाभों तथा केरल पैटर्न पर आगे प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही संतुलन के सिद्धांत का सम्मान करने के लिए काम करते हुए नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने की सरकार की जिम्मेदारी और कष्टदायी दर्द की अनावश्यक पीड़ा को कम करने की उसकी जिम्मेदारी के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संतुलन बनाना चाहिए।

संख्या नहीं अवसर से आगे बढ़ेगी लड़कियां

दरा में पुरुषों का तुलना में महिलाओं का संख्या अधिक हैं जबकि वे खुश हो जाना कोई अर्थ नहीं रखता है। यह खुशी उस वक्त तक अधूरी है जब तक सभी लड़कियों को एक समान शिक्षा और अधिकार नहीं मिल जाते हैं। जब तक बिना किसी भेदभाव और बीदिसों के उह्वें आगे बढ़ने और उसी अपनी पसंद के क्षेत्र में काम करने की आजादी नहीं मिल जाती है। लड़कियों के प्रति समाज को हर स्तर पर अपनी सोच बदलने की जरूरत है। पिछले सप्ताह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े में बताया गया है कि देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है।

सर्वेक्षण के अनुसार प्रति एक हजार पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। माना यह जा रहा है कि आजादी के बाद यह पहली बार है जब देश में महिलाओं की संख्या एक हजार को पार कर गई है। आंकड़ों के अनुसार यह सुखद बात यह है कि शहरों की तुलना में गांवों में यह स्थिति और भी अधिक बेहतर है। शहरों में जहां प्रति एक हजार पर 985 महिलाएं हैं, वहीं गांवों में यह संख्या 1037 दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय भी लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। 2015-16 में जहां जन्म के समय प्रति एक हजार बालक पर 919 बालिका थीं, वहीं 2019-20 में बढ़कर 929 हो गया है। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण का यह आंकड़ा वास्तव में एक सुखद एहसास दिला रहा है। यह इस बात को भी स्पष्ट कर रहा है कि अब देश में लोगों की सोच बदल रही है। अब बेटी पर बेटे को प्राथमिकता देने वाली संकीर्ण विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है। अब माता-पिता को यह एहसास होने लगा है कि जो उम्मीदें और आशाएं वह केवल बेटों से करते थे वह बेटी भी पूरा कर सकती है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में और कोई भी फील्ड में लड़के की तरह लड़कियां भी कामयाबी के झांडे गाड़ि सकती हैं। वर्ष को आगे बढ़ाने और मरने के बाद केवल बेटे से ही चितावन को आग देने से मोक्ष मिलेगा, यह विचार बदलने लगा है। अब घर में लड़की के जन्म लेने पर भी खुशियां मनाई जाती हैं। उसे भी लड़के की तरह अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है और घर के अंदर भी उच्च

संक्षेप में यह उत्तर है कि व्यापक समाज की सोच में परिवर्तन आने लगा है और लड़की द्वारा मनपसंख्या की जीवनसाथी चुने जाने को प्राथमिकता दी जाने लगी है। लेकिन सबाल यह उत्तर है कि व्यापक समाज की सोच पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित नजर आती है? व्यापक समाज की सोच में देश भूमि दूरदराज इलाकों में लड़का और लड़की के बीच किया जाने वाला फैसला मिटाया जा रहा है? व्यापक समाज की सोच में लड़कों की तरह लड़कियों को अपेक्षित आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? शायद इसका जवाब अभी भी पूरी तरह से हां में नहीं मिलता है। अभी भी देश के कुछ राज्यों में दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लड़का और लड़की के बीच अंतर्विवाह किया जाता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। घर से लेकर बाहर तक उसे हर काम प्राथमिकता दी जाती है। प्रसव के दौरान लड़का पैदा होने की कामना व जाती है और उसके जन्म पर लड़कियों की तुलना में अधिक उत्सुक मनाया जाता है। अधिक से अधिक बेटा को जन्म देने वाली महिलाओं को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। हम इस सच्चाई से मुंह न ढांड सकते हैं कि देश के ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां आज भी लड़का लड़की के बीच भेद किया जाता है। हालांकि पहले की तुलना में इन क्षेत्रों के लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। इन्हीं में एक उत्तराखण्ड के सुनारा ग्रामीण क्षेत्र कपकोट तहसील का असो गांव भी है। जहां जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक तब्दीली दी जाती है। शिक्षा की कमी के कारण गांव में अंधविश्वास, अपनी जड़ें जमाये बैठा है। अंधविश्वास का आलम यह है कि लड़का का जन्म के लिए जानवरों की बलि तक चढ़ाइ जाती है। जिस घर में गर्भवति महिला के प्रसव का समय जैसे-जैसे नजदीक आता है, वैसे-वैसे उसके सेहत से अधिक कर्मकांड पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि घर लड़के का जन्म हो सके। लेकिन अगर लड़की का जन्म होता है तो पिछे उसे वह सम्मान नहीं दिया जाता है, जिसकी वह हकदार होती है। यह तक कि जिस महिला की लड़के से अधिक लड़कियां होती हैं उसके

डॉली आर्या

समाज में भी तिरस्कार किया जाता है। कई बार अनेतिर रूप से लड़की को गर्भ में ही मार देने का कुकृत्य तक किया जाता है। यदि लड़की जन्म ले भी लेती है तो उसे अच्छी शिक्षा देने की जगह बचपन से ही घर के काम में लगा दिया जाता है। उसे उसके हिस्से का हक तक देने से विचित कर दिया है। यद्यपि कुछ घरों में लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है, लेकिन यदि 12वीं या कॉलेज गांव से दूर होता है तो 10वीं के बाद ही उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और जल्द ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर लड़कों को पूरी आजादी मिलती है। उसका अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया जाता है और उसकी प्रत्येक जरूरतों को पूरा किया जाता है। दरअसल शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण माता-पिता की यह सोच होती है कि लड़की को पढ़ कर क्या करना है? उसे तो पराए घर ही जाना है। कौन सा लड़की हमें खिला रही है? बुद्धापे का असली सहारा तो लड़का ही बनेगा। गांव के कुछ मां-बाप की यह सोच है कि अगर लड़की बीच में बोले तो, उसे तमीज नहीं होने का ताना सुनाया जाता है, जबकि यहीं गलती अगर लड़के करते हैं तो उसे नज़अंदाज कर दिया जाता है। कोविड-19 के दौर में जबकि ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में लड़कों को फोन तो उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन लड़कियों को यह कह कर मना कर दिया जाता है कि इससे लड़की बिगड़ जाएगी। यहीं कारण है कि पिछले दो वर्षों में ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे अधिक नुकसान गांव की लड़कियों को उठाना पड़ा है। कई लड़कियों का इस दौरान पढ़ाई ने नाता बिल्कुल टूट चुका है। हालांकि परिस्थिति ठीक होने और स्कूल फिर से खुलने से कई लड़कियों को राहत मिली थी और वह फिर से पढ़ाई की ओर लौट रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें शादी के नाम पर आगे पढ़ने से रोक दिया गया है। ऐसी लड़कियां अब शायद ही कभी पढ़ सकेंगी।

क्या कृषि कानूनों पर भाजपा के यूटर्न से बदल गया है पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित

अजय कुमार

लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस इलाके से जीत का परचम लहराया था, जिसके चलते चरण सिंह का परिवार भी पराजित हो गया था। 2019 में भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे। परंतु इस बार हालात बुरी तरह से बदले हुए हैं। न 2014 जैसी मोदी लहर है, न ही 2013 के दंगों की पीड़ि को लोग याद रखे हुए हैं। नये कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन ने जाट-मुसलमानों के बीच की खाई को पाट दिया है। इसीलिए मोदी सरकार के कृषि कानूनों के बाप्स लेने के फैसले को सियासी नजरों से भी देखाजा रहा है। खासकर अगले साल होने वाले युपी विधानसभा चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है।

दरअसल पश्चिमी यूपी की 14 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर किसानों का दबदबा है, जिसमें जाट-मुसलमान-गूजर सभी बिरादरियों के किसान शामिल हैं। इन इलाकों में किसान आंदोलन का प्रभाव भी काफी है। खुद किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक राकेश टिकट इन्हीं इलाकों से आते हैं। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जाट बाहुल्य 71 में से 51 पर जीत हासिल की थी। कभी इस इलाके में राष्ट्रीय लोक दल की तृतीय बोलती थी, जाट समुदाय इसी पार्टी को बोट देते थे, लेकिन 2017 में उसे सिर्फ एक सीट मिली वो भी बाद में भाजपा में शामिल हो गए। तब समाजवादी पार्टी ने 16, कांग्रेस ने दो जबकि बसपा और सालेह ने एक-एक सीट जीती थी। इस बार, रालोद-सपा गठबंधन किसान आंदोलन के कारण भाजपा की सीटों पर संघ लगाने की उम्मीद कर रहा है। बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व भी इस कानून वापसी के फायदे और नुकसान पर दो धड़ों में बंटा है। कुछ नेताओं का जहां मानना है कि इससे किसानों की भाजपा के प्रति नाराजगी कम होगी, वहाँ कुछ का कहना है कि जो नुकसान होना था वो हो चुका है। सवाल अब ये उठता है कि कृषि कानून पर मोदी सरकार के यू-टर्न के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन क्या कामयाब होगा भी? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा और बीजेपी को इस गठबंधन से नुकसान होगा? इस पर राजनीति के कुछ जानकार कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों की राजनीति के केंद्र में किसान ही है। इस तरह से दोनों नेचुरल एकायंस पार्टनर हैं। फिर भी गठबंधन तो राजनीति में फायदे के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन किसका

आंदोलन की वजह से हो रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दो दलों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि वो उतना सफर नहीं हो पाया था। इसलिए ये कहना कि कृषि कानून के विरोध की वजह रालोद सपा से गठबंधन करना चाहती थीं, गलत होगा। यहाँ ये जाना चाहिए है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में या उससे पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कभी कोई गठबंधन नहीं था। इसकी वजह थी कि चौथी अंजित सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौथी चरण सिंह का पुत्र होने के न चरण सिंह की सियासी विरासत पर अपना हक्क समझते थे, जबकि पूर्व सप्रमुख मुलायम सिंह यादव कहते थे कि चौथी चरण सिंह उनके गुरु हैं। इसलिए उनकी सियासी विरासत पर उनका पहला हक है। हाँ, इतना चाहिए अंजित सिंह यादव की विरासत पर उनका हक है। ये फिर उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। राष्ट्रीय लोकदल की बात की जाए तो 2017 के चुनाव में एक सीट पर उनके उम्मीदवार को जीत मिली थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में रातोंद व सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रखा था, जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ और उन्होंने 14 सीटें जीती थीं। इसके बाद 2007 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और 10 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीती रहीं। 2012 का चुनाव आरएलडी ने कंग्रेस के साथ लड़ा और 9 सीटें जीती रहीं। ये फिर उनकी चौथी अंजित सिंह की मौत के बाद ये जयंत चौथी का पहला चुनाव है जब सभी फैसले वो खुद ले रहे हैं। सवाल यही है कि रालोद के इत्तम खराब रिकॉर्ड के बावजूद अखिलेश रालोद के साथ गठबंधन करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या साथ लेंगे? इस सवाल के जवाब में राजनैतिक पंडित कहते हैं कि ये चुनाव ऐसे सामाजिक समीकरण बैठाने का चुनाव है, जब बीजेपी को हराने के लिए जहाँ जहाँ जो पार्टी एक-दूसरे का पूरक बन सकती है। वहाँ उन्हें एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। 2013 से 2019 तक बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कथित रूप से सांघर्षायिक ध्वनीकरण करने में सफर रही है। जिस वजह से इस इलाके के जाट और मुसलमानों में दूरी आ गई है और इसका फायदा बीजेपी को मिला था। सपा-रालोद गठबंधन से वो दूरी नजदीकी में बदल जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बीच के गठबंधन में सीटों का बँटवारा बेहद अहम होगा। कुछ राजनैतिक पंडित कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा की तकरीबन 10 सीटें आती हैं। (पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वैसे सीमा निर्धारित नहीं है, इस वजह से ऑकड़े अलग-अलग हो सकते हैं) 2017 विधानसभा चुनाव

देश/विदेश संदेश

चनी का आरोप, सौट बंटवारा समझाते पर गुप्त रूप से काम कर रहे अमरिंदर और बादल चंडीगढ़। जंजब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चनी ने सोमवार को आरोप लगाया कि अगले साल की शुरूआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बर्दजर पर्व मुख्यमंत्री अमिंदर सिंह और प्रियोगिणी अकली दल के बीच गुप्त रूप से सेट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। चनी ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी सिंह, शिअद अध्यक्ष सुखेवर सिंह बादल और भाजपा के बीच अदर्ली गठजोड़ रहा था और कहा कि अब वे राज्य के हितों के गुप्त रूप से उक्सान पहुंचा रहे हैं। हाल में राज्य की सताराइ कांग्रेस का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिंह अकाली दल के साथ मिलकर देवताना मैच खेल रहे थे। एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एक दूसरे की मदद की

'अब तो अब्बाजान भी लगवा चुके, आप भी लगवा लें कोरोना वैक्सीन'

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सगाई में सोमवार को जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व फार्म में दिखे। आजमगढ़ सोसाइट और पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गुप्त रूप से सेट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। चनी ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी सिंह, शिअद अध्यक्ष सुखेवर सिंह बादल और भाजपा के बीच अदर्ली गठजोड़ रहा था और कहा कि अब वे राज्य के हितों के गुप्त रूप से उक्सान पहुंचा रहे हैं। हाल में राज्य की सताराइ कांग्रेस का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिंह अकाली दल के साथ मिलकर देवताना मैच खेल रहे थे। एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि एक दूसरे की मदद की

उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया कि कोरोना संकट के समय अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को लावरिस छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि

थे तो उन्हें किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। आजमगढ़ का नाम सुने ही हालों में भी कर्मस नहीं मिलते थे। वह संकट उन्होंने ही खड़ा किया था, जिन्होंने कोरोना

वैक्सीन को भाजपा और मोदी जी की वैक्सीन बताते थे। बोले- अब तो अब्बाजान भी वैक्सीन लगावा चुके हैं। आप भी लगवा लें। नया वैरिएट आ गया है। वैक्सीन लगवा लेंगे तो शायद सच बोलने की आदत आ जाएगी। नहीं तो ज्ञात पर झूल बोलकर जैसे आजमगढ़ के लोगों को घोखा दे रहे थे वैसे ही प्रदेश के लोगों को भी घोखा दे रहे थे। सोइम योगी था। यहां के लोग कहीं बाहर जाते

समेत अन्य सुविधाओं की लगातार पड़ताल की। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सेवा के कार्य में जुटे थे। लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदराद थे। उनका कहीं पता ही नहीं था। पहली लहर में मैं पूछ कि आजमगढ़ के सांसद कहा है, तो उनका चाला कि इंगेड गा। जब दूसरी लहर आई तो पता किया तब पता चला कि ऑस्ट्रेलिया गए हैं। उन्होंने मौजूद जनता से पूछ कि आजमगढ़ के लोगों ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया व इंलैंड जाने के लिए तो नहीं चुना था। सगड़ी जो जनसभा को संबोधित करते हुए सोइम ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया व इंलैंड जाने के लिए तो नहीं चुना था। नया वैरिएट आ गया है। वैक्सीन लगवा लेंगे तो शायद सच बोलने की आदत आ जाएगी। नहीं तो ज्ञात पर झूल बोलकर जैसे आजमगढ़ के लोगों को घोखा दे रहे थे। वैसे ही प्रदेश के लोगों को भी घोखा दे रहे थे। सोइम योगी था।

यहां की मैडिकल व्यवस्था

सामजावादी पार्टी सता में आने के बाद गरीबी, दलितों व व्यापारियों को सता रही थी।

आजमगढ़ इसका भुक्त भोगी था।

यहां के लोग कहीं बाहर जाते

काल में यहां की जनता को

लावरिस छोड़ दिया था। सोइम ने

कहा कि कोरोना काल में हम

आजमगढ़ में तीन बार आए थे।

यहां की मैडिकल व्यवस्था

लावरिस को घोखा दे रहे थे। बाबू जिन्होंने को बदला दिया था। सोइम ने

कहा कि जनसभा को घोखा दे रही थी।

यहां की वैक्सीन लगवा लेंगे तो आजमगढ़ के लोगों को घोखा दे रही थी।

उनपर अन्याचार होते थे तो वो मौन साथ

कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमपाल

अधिकारी के लिए तो नहीं चुना था।

सगड़ी जो जनसभा को

संबोधित करते हुए सोइम ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों को घोखा दे रही थी।

यहां की वैक्सीन लगवा लेंगे तो आजमगढ़ के लोगों को घोखा दे रही थी।

उनपर अन्याचार होते थे तो वो मौन साथ

कुछ समय के लिए गहुल गांधी

भी बाहर बैठे थे। बाबू जिन्होंने को घोखा दे सकते हैं।

हालांकि इसकी

सदस्य को